ग्राम पंचायत पालकवाह , विकास खण्ड हरोली , जिला ,ऊहिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व उप संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पालकवाह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित/सचिव कार्यरत थे

प्रधान :-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री मती हीरां देवी	1-04-2015 से 20-01-2016
2	श्री संदीप कुमार	21-01-2016 से 31-03-2018

सचिव :-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री मती नीतू देवी	1-04-2015 से 31-03-2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत, पालकवाह के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.30
2	6	अनुदानों का उपयोग न करना	39.62
3	7	सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय हिम उर्जा से न करने के कारण किया गया अपव्यय	0.34
4	8	औपचारिकताओं को पूर्णकिए बिना निर्माण सामग्रीव अन्य सामान का क्रय करना	2.69
5	9	उचित बिलों के बगैर निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.47
6	10	मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	5.47

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पालकवाह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक11-06-2018 से 14-06-2018 तक ग्राम पंचायत पालकवाह में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

आय:- 4/15, 9/16 व 10/17

व्यय:- 9/15, 3/17 व 7/17

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पालकवाह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या –158 दिनांक 13-06-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पालकवाह से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या 292916 दिनांक 13-06-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है।

4 (क) वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की स्वः स्त्रोत व अनुदानों की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण**परिशिष्ट –क** पर भी दिया गया है।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1819291.14	3435579	76157	5331027.14	3287721.3	2043305.84
2016-17	2043305.84	5331004	142256	7516565.84	2499752.1	5016813.74
2017-18	5016813.74	5405301.38	206159	10628274.12	5885556.38	4742717.74

(i) स्वयं स्त्रोत :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	727942.82	79591	60232	867765.82	461046.5	406719.32
2016-17	406719.32	7740	126787	541246.32	137099.1	404147.22
2017-18	404147.22	8303	190837	603287.22	282240.36	321046.86

(ii) अनुदान :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	965187.32	1589162		2554349.32	1306981.5	1247367.82
2016-17	1247367.82	4131957		5379324.82	977783	4401541.82
2017-18	4401541.82	2566908.54		6968450.36	3006337.18	3962113.18

(iii) आई ० ए० वाई ० :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	70098	37500	3521	111119	30000	81119
2016-17	81119	37500	3317	121936	45000	76936
2017-18	76936	0	3108	80044	0	80044

(iv) आई ० डब्लयू ० एम ० पी∀ :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	56063	575376	12404	643843	335743.3	308099.7
2016-17	308099.7	0	12152	320251.7	196488	123763.7
2017-18	123763.7	9464.84	4333	137561.54	101723.84	35837.7

(v) आई ० डब्लयू ० एम ० पी∩अंशदान :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	10800	0	10800	375	10425
2017-18	10425	3600	488	14513	0	14513

(vi) स्वच्छ भारत अभियान (एस० बी० एम०):-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	1100000	7393	1107393	778230	329163

(vii) मनरेगा :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	1153950	0	1153950	1153950	0
2016-17	0	1143007	0	1143007	1143007	0
2017-18	0	1717025	0	1717025	1717025	0

अन्त शेष का विवरण :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-201 8 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	बैंक में जमा शेष राशि	अन्तर
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048031309	4283160.04	4282927.55	232.49 (हस्तगत रोकड़)
2	आई .ए.बाई.	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048069763	80044	80044	
3	आई० डब्लयू० एम० पी०- V	पी.एन.बी. टाहलीवाल	6810000100012430	35837.70	35837.70	
4	आई० डब्लयू० एम० पी०- V अंशदान	पी.एन.बी. हरोली	6810000100014430	14513	14513	
5	स्वच्छ भारत मिशन (एस० बी० एम०)	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	50066368523	329163	329163	
6	मनरेगा	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048033522	0	0	
			योग	**4742717.74**	**4742485.25**	**232.49**

(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया

गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग)रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष दैनिक आयव व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेषनिकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त भी आरम्भिक शेष आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है रोकड़ बहियों में दैनिक,मासान्त एवं वर्षान्त भी आरम्भिक शेष आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है। अतः रोकड़ बहियों में दैनिक मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए भविष्य मेंरोकड़ बहियों में दैनिक मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए।

(घ) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है, परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग –अलग छः रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है । अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर छः रोकड़ बहियों का रखरखाव करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए नियमानुसार एक ही रोकड़बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

(ड.)नियमों के विरुद्ध बैंक बचत खातोंखोला जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है , जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वंय संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दो के स्थान पर छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध अधिक खोले गए चारबैंक खातों को बन्द करना सुनिश्चित किया जाए।

(च) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार तैयार करते हुए एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जायगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सका। अतः बर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹1.30 लाख का वसूली हेतु शेष :-

सचिव ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-2018 तक पंचायत राजस्व ₹130340 वसूली हेतु शेष थी , जिसका विवरण **परिशिष्ट -ख** पर भी दिया गया है।

(क) गृहकर :-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	73900	18000	91900	0	91900
2016-17	91900	18000	109900	0	109900
2017-18	109900	18440	128340	0	128340

(ख) मोबाईल टावर :-

(i) एयरटेल

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	2000	2000	2000	0
2016-17	0	2000	2000	2000	0
2017-18	0	2000	2000	0	2000

अतः उपरोक्त पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 अनुदान ₹39.62 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट -क – 2** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 के ₹3962113.18 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के

कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाए।

7 सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय हिम उर्जा से न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया अपव्यय ₹0.34 लाख

जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत वाउचर संख्या 127 दिनांक 10-09-15 के अन्तर्गत 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो के क्रय करने पर निम्न विवरणानुसार विनसेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर ब्रांच ऑफिस गगरेट(हि० प्र०) को ₹156800 का भुगतान किया गया है।

क्रम संख्या	वा0 संख्या / दिनांक	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	127 10-09-15	सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम 1500 वाट एल ई डी	8	19600	156800
				योग	**₹156800**

(क) उपरोक्त उल्लेखित सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करके विनसेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर ब्रांच ऑफिस गगरेट (हि० प्र०) से किया गया है। यदि उक्त सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से किया जाता तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट ₹15356 की दर से भुगतान किया जाता । फलस्वरूप उपरोक्त उल्लेखित 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो को सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करने का कारण ग्राम पंचायत द्वारा ₹4244 (19600-15356) प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट की दर से 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो पर ₹33952 (4244x8) का अपव्यय किया गया है। अतः उपरोक्त उल्लेखित 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करने के कारण किए गए अपव्यय (अधिक एवं गलत भुगतान) ₹33952 का उतरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी / कहाँ स्थापित की गई हैं से सम्बन्धित अभिलेख स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी / कहाँ स्थापित की गई हैं से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय की गई 8 सोलर स्ट्रीट लाइटो के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि

किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना को सिरे से नकारा जा सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.69 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट ग** में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹268587 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **उचित बिलों के बिना ₹1.47 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-**

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट -घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹147034 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है। अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹147034 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्ति कर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

10 **मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹5.47 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

क) जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा **परिशिष्ट–ड.** पर दिए गए विवरण अनुसार करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹547350 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितनी मजदूरी मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है। अतः उक्त मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹547350 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

ख) **परिशिष्ट - ड** पर दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 34 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी ₹547350 से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएँ जहाँ पर कार्य प्रगति (progress) दर्ज है, अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाएँ सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 ₹0.02 लाख का दुरूपयोग :-

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई ₹1748 को रोकड़ बही व बचत खातों में जमा न करवा कर उसका दुरूपयोग किया गया है।

क्रम संख्या	**वसूली की तिथि**	**रसीद संख्या**	**जिस राशि प्राप्त की गई उसका नाम व पता**	**वसूली गई राशि**	**विवरण**
1	12-05-17	531131	रणजीत सिंह (लम्बरदार)	1648	भू-राजस्व
2	22-06-17	531132	मनजीत सिंह	100	गृह कर
			योग	**1748**	

अतः उपरोक्त उल्लेखित वसूली गई राशि को पंचायत निधि में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरूपयोग की गई राशि का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी / अधिकारी से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

12 ₹ 271 का अधिक भुगतान :-

जांच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत वाऊचर संख्या 67 दिनांक 31-03-17 को श्री बहादुर सिंह (मिस्त्री) को " Construction of path H/O Lambardaar to Link road to thakranwala" में मस्टररोल के अन्तर्गत 26 दिन ₹271 प्रति दिन की दर से ₹7046 का भुगतान किया गया था, लेकिन मस्टररोल की जाँच करने पर पाया गया कि मास्टररोल पर श्री बहादुर सिंह (मिस्त्री) की 25 उपस्थिति (हाजिरी) ही दर्ज है। फलस्वरूप उक्त मिस्त्री को एक दिन का ₹271 अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित मिस्त्री अथवा भुगतान करने हेतु उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 अंकेक्षण अवधि1-04-15 से 31-03-18 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच –एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट (cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया है। जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली/ फुट के रूप में मापन असम्भव है । अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 स्त्रोत पर कर कीकटौती न करना :-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर सेस्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है । अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर कर की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें व भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान

संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए

16 नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप-1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

17 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था। जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम67 (3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व

अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

18 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखि सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है । अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

20 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

22 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना :-

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(क) इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 में प्राबधित फॉर्म –2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।

(ख) खाली रसीद बुकें सचिव की निजी अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।

(ग) नई रसीद बुकों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाण पत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत पालकवाह द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गयाकि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपति विवरणिका** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 39/2018 खण्ड–1–5618–5621 दिनांक 28.08.2018शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत पालकवाह, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046